उपखण्ड अधिकारी बालोतरा एवं
शिविर प्रभारी ग्रामीण सेवा शिविर–2025
ग्रामीण सेवा शिविर–2025
दिनांक 23.12.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 501/2025
छगनीदेवी बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थीनी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एव **हल्का पटवारी खटटू व भू.अ.नि. दूधवा** मय तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खटटू तहसील पचपदरा की खाता संख्या 217 मे प्रार्थीनी का नाम मु.सजनी पत्नि खेता सहखातेदारी में दर्ज है,जो कि रेकर्ड मे अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम छगनीदेवी पत्नि खेताराम है,जो शुद्व करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी का आवेदन व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि प्रार्थीनी का वर्तमान रेकर्ड मे मु.सजनी पत्नि खेता सहखातेदारी मे दर्ज है,इसके स्थान पर प्रार्थीनी छगनीदेवी पत्नि खेताराम दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है,जो कि स्वीकार योग्य नही है,क्योकि प्रार्थीनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया,जिससे साबित होता कि प्रार्थीनी नाम दुरूस्ती करवाने का हकदार हो। प्रार्थीनी के नाम दुरूस्ती करवाने के समर्थन मे विवादित भूमि के सहखातेदारान द्वारा कोई समर्थन अर्थात इकबाली जवाब पेश नही किया गया है,जिसके अभाव के कारण प्रार्थीनी का आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है,इसके अलावा पूर्व रेकर्ड मे प्रार्थीनी का नाम अशुद्व दर्ज होने का क्या आधार रहा,इसका भी कोई स्पष्टीकरण नही है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नही होने के कारण प्रार्थीनी का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रार्थीनी पृथक से वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

ग्रामीण सेवा शिविर–2025
उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बालोतरा